सामुदायिक संरक्षित क्षेत्रों के आर्थिक सहयोग के लिये मार्गदर्शन

वन एवं पर्यावरण मंत्रालय ने नियुक्त की हुई
समिति की रिपोर्ट के कुछ अंश

KALPAVRIKSH
कल्पवृक्ष
Environmental
Action Group

आदिवासी और स्थानीय समुदायों द्वारा संरक्षित क्षेत्रों के समर्थन, व्यवस्थापन और अर्थप्रबंध की जाँच-पडताल करने के लिये वन एवं पर्यावरण मंत्रालय ने नियुक्त की हुई समिति की रिपोर्ट के कुछ अंश

प्रस्तावना

व्यापक रुप में यह माना जाता है कि संरक्षित क्षेत्रों के बाहर भी विपुल जैवविविधता संरचनाएँ पाई जाती हैं-जैसे की जंगल में पाये जानेवाले चंदन आदि पेडों के कई प्रकार, दक्षिण भारत के पहाडी इलाके के जंगल, घास के मैदान, हिमालय के ऊँचे घासयुक्त टापू, रेगिस्तान, उष्णकटिबंधीय दलदलयुक्त क्षेत्र, नदियाँ और मुहाना क्षेत्र, बाँस और नरकुल की झाडियाँ, समुद्र तट के जंगल, मूंगे के पहाड़, वगैरह। ऐसे क्षेत्रों के स्वामित्व की अवस्था सरकारी रिज़र्व वनों से लेकर संरक्षित वन, रेवेन्यू वन, गाँव के वन, निजी वन, धार्मिक वन और प्रादेशिक जल तक हो सकती है। ऐसे आधिवास वन्यजीवों के लिये संरक्षित क्षेत्रों को जोड़नेवाले गलियारे बन कर परिदृश्य में संबद्धता सुनिश्चित करते हैं।

ऐसे अनेक क्षेत्रों के संरक्षण करने की कई स्थानों में स्थानीय समुदायों की परम्परा रही है। इसी कारण केंद्र सरकार ने समुदायों के ऐसे उपक्रमों के लिये आर्थिक और तकनीकी सहायता देने के लिये योजनाएँ बनाई हैं। निसर्गसंरक्षण करने में समुदायों को प्रोत्साहन देने के लिये समुदाय द्वारा संरक्षित क्षेत्र (Community Conserved Areas (CCA)) चाहे अधिसूचित किए गए हो या न हो, उन को संरक्षण देनेवाले समुदायों को इस प्रकार सहायता दी जाएगी।

इस उद्देश्य से वन और पर्यावरण मंत्रालय ने CCA और समुदायों द्वारा संरक्षित अन्य क्षेत्रों के व्यवस्थापन और अर्थप्रबंध की जाँच-पड़ताल करने के लिये एक समिति गठित की, जिस के सदस्यों को लोकसमुदायों द्वारा किये जानेवाले निसर्गसंरक्षण के कार्य में गहरा अनुभव है। राष्ट्र की ११ वी पंचवर्षीय परियोजना के कार्यकाल में केंद्र-प्रायोजित 'वन्यजीव आधिवासों का समन्वित विकास' योजना के तहत ऐसे क्षेत्रों को सहायता देने के काम में इस समिति का योगदान रहेगा।

इस समिति की मसौदा रिपोर्ट में से कुछ प्रासंगिक जानकरी का सारांश यहाँ दे रहे हैं-

विभाग १

१.१ परिभाषा

समुदायों द्वारा संरक्षित क्षेत्र उन क्षेत्रों को माना जाता है जहाँ न्यूनतम मानवी प्रभावयुक्त

परिसंस्थाओं से लेकर अधिकतम मानवी प्रभावयुक्त परिसंस्थाओं तक सारी नैसर्गिक परिसंस्थाएँ (वन, नौ, नाविक, जल, घास, अन्य), जिन में महत्वपूर्ण वन्यजीव और जैवविविधता पाई जाती हो, और समुदाय जिन का पारंपरिक कानून द्वारा या किसी अन्य प्रभावी माध्यम द्वारा सांस्कृतिक, धार्मिक, रोज़गार या फिर राजनीति से जुड़े उद्देश्य से संरक्षण करते हो। जहाँ

a. *समुदाय*
   भौगोलिक, सांस्कृतिक और पारंपरिक तौर पर जुड़े लोगों का समूह जो आम प्राकृतिक संसाधनों (परिसंस्थाएँ या प्रजातियाँ) में दिलचस्पी रखता है या उस पर प्रभाव ड़ालता है। यह ज़रुरी नहीं है कि समूदाय के सभी सदस्य एक ही जाति के हो।
b. *निसर्ग संरक्षण*
   एक या अधिक प्राकृतिक परिसंस्था और प्रजातियों का अनुरक्षण।
c. *क्षेत्र*
   ऐसे स्थल जहाँ पारम्परिक या अन्य नियमों व कानूनों की सहायता से निसर्ग संरक्षण का जतन हो रहा हो। कार्यान्वयन व्यवस्था, नियम और विनियम इस क्षेत्र में लागू किये जाते हैं।

इसके अलावा एक आदर्श स्थिति में, CCA को जैवविविधता के संरक्षण की ऐसी प्रक्रिया माना जा सकता है जिसमें पारदर्शिता और भागिदारी समाविष्ट हो। CCA क्षेत्रों को विभिन्न दृष्टिकोणों का समावेश करनेवाली, एक विशिष्ट विचार तथा आचरण शैली के रुप में भी देखा जाना चाहिये, जिन में समय और स्थान की आवश्यकता के अनुसार, निसर्ग संरक्षण का उचित मार्ग अपनाया जाता है।

१.२ समुदाय किन उद्देश्यों के लिये जैवविविधता का संरक्षण करते हैं?

स्थानिक समुदाय विभिन्न उद्देश्यों के लिये जैवविविधता का संरक्षण करते हैं। यह ज़रुरी नहीं कि जैवविविधता का संरक्षण ही हमेशा प्राथमिक उद्देश्य हो, पर यह विभिन्न उद्देश्यों में से एक उद्देश्य अवश्य होता है।

a प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण व उपयोग,

b भूस्खलन, बाढ़ इत्यादि जैसे ख़तरे से लड़ना,

केरल के कोलावीपालम में, गोवा के गाल्गीबाग और मोर्जिम में, और ओडिशा के ऋषिकुल्य तथा गोखर्कुडा में मछुआरे समुद्री कछुओं के घोसलों के क्षेत्रों का, अण्डों का और कछुओं के बच्चों का रक्षण करते हैं। २००६ और २००८ में १००,००० से ज़्यादा कछुओं ने ऋषिकुल्य में अण्डे दिये थे।

c विकास से जुड़े बाहरी खतरों से लड़ना,
d जीवजातियों, पवित्र क्षेत्रों और तत्वों से जुड़ी हुई धार्मिक, अध्यात्मिक भावनाएँ,
e सांस्कृतिक महत्व और पारंपरिक व्यवस्थाएँ,
f राजकीय कारण जैसे की स्वशासन का आन्दोलन, स्थानीय लोगों को समर्थ बनाना, वगैरह,
g जैवविविधता का महत्व,
h आर्थिक कारण।

विभाग २: CCA क्षेत्रों का वर्गीकरण

समुदायों द्वारा संरक्षण के कार्य की शुरुआत अनेक कारणों से होती है। स्थानीय आवश्यकता के अनुसार समुदाय निसर्ग संरक्षण का उचित मार्ग अपनाते हैं। नीचे इनका वर्गीकरण करने की कोशिश की गई है। यह ज़रुरी नहीं कि सारे वर्ग एक दूसरे से पूरी तरह भिन्न हो। कुछ CCA क्षेत्र किसी भी एक वर्ग में पूरी तरह नहीं समाए जा सकते हैं। CCAs का वर्गीकरण अनेक तरीकों से किया जा सकता है। जैसे कि :

a. CCAs के प्रारम्भ होने के कारण के आधार पर,
b. उद्देश्य के आधार पर,
c. क्षेत्रफल के आधार पर,
d. जिस तरह के परिवेश का संरक्षण हो रहा है उसके आधार पर,
e. व्यवस्थापन पद्धति के आधार पर, या,
f. संस्थाओं की स्थापना के आधार पर।

ऐसी तीन विशेषताओं पर आधारित साधारण वर्गीकरण का एक नमूना यहाँ दे रहे हैं–

CCA क्षेत्रों का साधारण वर्गीकरण

उत्पत्ति
1. स्व आरंभ हुए
2. बाहर से साहायताद्वारा आरंभ हुए

व्यवस्थापन पद्धति
1. अपरिवर्तित पारंपरिक पद्धति
2. पुनर्जीवित पारंपरिक पद्धति
3. नई पद्धति

उद्देश्य
1. आजीविका के साधन कायम रखना
2. आर्थिक लाभ वाले क्षेत्र बनाए रखना
3. परिसंस्था का कार्य (राजकीय/सामाजिक मान्यता पा सकना)
4. धार्मिक भावनाएँ
5. सांस्कृतिक संबंध
6. जैवविविधता/प्रजाति/आधिवास का संरक्षण
7. बाहरी ख़तरों से बचने के लिये जवाबी कारवाई

विभाग ३ : CCA क्षेत्रों में निसर्ग संरक्षण की कीमत और ख़तरों का सामना

३.१ समुदाय चुकाते हैं कीमतें

निसर्ग संरक्षण की भी कुछ कीमत होती है, चाहे समुदाय खुद ही इस काम में क्यों न जुटे हो। कुछ कीमतें, जिन्हे चुकाने में समुदाय मदद चाहते हैं, इस प्रकार की हैं –

a. संरक्षण व्यवस्थापन और नियोजन कार्य के लिये समय और कष्ट की ज़रुरत होती है– निसर्ग संरक्षण से जुडे समुदाय अक्सर ऐसे लोगों के होते हैं जैसे कि केवल अपने परिवार के लिये पर्याप्त मात्रा में खेती कर सकने वाले छोटे किसान, वन उपज इकट्ठा करनेवाले लोग, मछुआरे, और अन्य वंचित लोग। रोज़ीरोटी ले लिये उन्हे हर रोज़ खेत में, चरागाह में, या जंगल में जाना पड़ता है। निसर्ग संरक्षण के लिये अपना समय देने से उनके परिवार की आमदनी में भारी प्रभाव पड़ सकता है।

b. नैसर्गिक संसाधनों की उपलब्धता में अल्पकालिक गिरावट– जहाँ संसाधनों का पुनर्जनन कराने के उद्देश्य से व्यवस्थापन किया जा रहा हो वहाँ पुनर्जनन पूरा होने तक गाँव को स्वयंघोषित प्रतिबंधों के कारण आयी संसाधनों की कमी को सहना पड़ता है।

c. पड़ोसी या पलायन करनेवाले समुदायों के साथ संघर्ष की कीमत– समुदाय जब निसर्ग संरक्षण शुरु करते हैं तो उन्हें क्षेत्राधिकार की सीमाओं को स्पष्ट कराना आवश्यक है। अगर पड़ोसी या पलायन करनेवाले समुदाय उसी क्षेत्र से अपने उपयोग के संसाधनों को इकट्ठा करते हों, तो कभी कभी सीमाओं को ले कर उन के साथ संघर्ष भी हो सकता है।

d. वन्य प्राणियों की संख्या बढ़ने से होनेवाली फ़सल की तबाही – उत्तराखंड स्थित जड़धारगाँव, पंजाब स्थित कुछ बिश्नोई गाँव, ओडिशा स्थित बुगुडा गाँव और नागालँड स्थित खोनोमा जैसे कुछ गाँवों में वन्य प्राणियों ने फ़सल की तबाही की बड़ी समस्या खड़ी कर दी है।

e. रोज़ीरोटी कमाने का दबाव बढ़ने लगे तो निसर्ग संरक्षण के कार्य को छोड़ देने पर भी समुदाय मजबूर हो जाते हैं।

f. अवसर खोने की कीमत या अन्य आर्थिक नुकसान – कर्नाटक स्थित कोक्करे बेल्लूर जैसे जो गाँव पंछियों के घोसलों का संरक्षण करते हैं, वे उन

इमली और अन्य पेड़ों से फल इकट्ठा नहीं कर पाते हैं जहाँ पंछियों ने घोसले बनाए हो।

३.२ निसर्ग संरक्षण करनेवाले समुदायों को ख़तरे

कई बार CCA क्षेत्रों को आंतरिक और बाहरी ख़तरों का सामना करना पड़ता है। इन क्षेत्रों पर असर करनेवाले कुछ ख़तरों की सूचि नीचे दी गई है, जिन में से कुछ इन क्षेत्रों के अस्तित्व तक को मिटा सकते हैं–

a. समुदाय में अक्सर अनेक स्तर होते हैं और कई बार केवल प्रबल लोग (पुरुष, बडे ज़मीनदार, उच्चस्तरीय व्यक्ति) प्रभावहीन (स्त्रीयाँ, भूमिहीन, नीचली जातियाँ) लोगों पर होनेवाले परिणामों के बारे में सोचे बिना ही निर्णय करते हैं। इसी कारण स्थानीय असंतोष बढ़ता है और निसर्ग संरक्षण कार्य भी अशाश्वत हो जाता है।

b. पारंपरिक ज्ञान व्यवस्थाएँ अब नष्ट होती जा रही हैं। इस के अनेक कारण हैं। इसी वजह से अपने पर्यावरण को नियंत्रित करने की समुदायों की क्षमताएँ भी कमज़ोर हो रही हैं।

पूरे भारतवर्ष में अनेक पवित्र वन और भूक्षेत्र पाये जाते हैं। दुर्लभ प्रजातियों के संरक्षण के साथ साथ समुदायों की धार्मिक, सांस्कृतिक, राजनैतिक, आर्थिक और अध्यात्मिक व स्वास्थ्य संबंधी ज़रुरतों को पूरा करने में भी इन क्षेत्रों का बड़ा योगदान होता है। ऐसे अधिकतर क्षेत्रों से प्राकृतिक संसाधनों के उपयोग की मनाही होती है, परन्तु कई क्षेत्रों मे स्वत: की आवश्यकता को पूरा करने के लिये चारे जैसे प्राकृतिक संसाधनों का भी सीमित मात्रा में उपयोग किया जाता है। राजस्तान के रेगिस्तानी प्रदेशों के ओरणों या पवित्र वनों का व्यवस्थापन साधारण रुप से ग्रामसभाएँ करती हैं। इनमें से कुछ वनों में सीमित मात्रा में मवेशी चराए जाते हैं। पानी की एक एक बूंद के लिये तरसनेवाली रेगिस्तान की भूमि की गहराइयों में स्थित जलस्रोतों को भरने में ओरणों का बड़ा महत्व होता है। पश्चिमी राजस्तान में खेजड़ी के वृक्षों का पूजन किया जाता है क्योंकि वे मिट्टी में पानी की मात्रा को बढ़ाते हैं, और सूखा पड़ने पर उनकी छाल को आटे में मिला कर खाया जा सकता है।

c. आज की शिक्षणव्यवस्था स्थानीय नैसर्गिक संसाधनों के मूल्यों को तथा पारंपरिक ज्ञान और संस्कृति के मूल्य को पहचानती तक नहीं है। इसी कारण नई पीढ़ी तक पारंपरिक ज्ञान पहुँचने में बड़ी दिक्कतें होती हैं और वह पर्यावरण व अपने ही समुदाय के पारम्परिक ज्ञान की या तो उपेक्षा करती है या फिर धुतकार देती है।

d. राजकीय पक्ष अक्सर विकृत स्वरुप में गाँवों में प्रवेश करते हैं और स्थानीय संस्थाओं पर असर ड़ालते हुए गाँव में विभाजन और संघर्ष फ़ैला देते हैं। इस परिस्थिति में स्थानीय मुद्दों का महत्व कम हो जाता है और राजकीय पक्ष अपने लिये महत्व रखनेवाले व्यापक मामलों को ही आगे बढ़ाते हैं।

e. CCA क्षेत्रों को प्रोत्साहन देने के लिये कोई व्यापक सरकरी नीति नहीं है। बहुत से CCA क्षेत्र सरकरी ज़मीनों पर स्थित हैं, जिन पर समुदायों के न कोई स्वामित्व अधिकार हैं और न ही वहाँ के संसाधनों के उपयोग कर सकने के अधिकार। ऐसे किसी क्षेत्र का संरक्षण करनेवाले समुदाय के साथ विचार-विमर्श किये बिना, या उन को

भारत भर फैले सैंकड़ो गाँवों में बसे समुदायों ने विभिन्न प्रजातियों के पंछियों और उन के घोसलों को सुरक्षित रखा है, (जैसे कि उत्तर प्रदेश में सरेली गाँव, आंध्र प्रदेश में नेल्लापटु और तमिळनाडु में चित्तरांगुडी)। कर्नाटक राज्य में कोक्करे बेल्लूर गाँव में पक्षियों और उन के घोसलों को परेशानी से बचाने के लिये शिकार और अन्य अनहोनी-घटनाओं से संरक्षण दिया जा रहा है। उन्होंने कई बार घोसलों को बचाए रखने के लिये घोंसलेवाले पेड़ों से इमली इकट्ठा करना मुल्तवी रखा है। तमिळनाडु में ७०० हेक्टेर पर फैले चित्तरांगुडी तालाब के आसपास कई प्रजातियों के पंछी घोसले बनाते हैं। गाँव के लोगों ने वहाँ से अंडे चुराने और पंछियों का शिकार करने पर प्रतिबंध लगाया हुआ है। तालाब की मछलियों को व्यापार के लिये बेचने पर भी प्रतिबंध है और दिवाली में गाँव पटाखों पर भी पाबंदी लगाता है। भारत के कुछ तटीय इलाकों में और जलमय टापुओं में भी स्थानीय समुदाय कछुए जैसे प्राणियों का संरक्षण कर रहे हैं।

ख़बर तक कराये बग़ैर, सरकार जब चाहे इन ज़मीनों को अलग काम के लिये इस्तेमाल कर सकती है, या फिर किसी अन्य उद्देश्य के लिये लीज़ पर भी दे सकती है।

f. अगर CCA क्षेत्रों में व्यापार-योग्य संसाधन (जैसे कि इमारती लकड़ी, जंगली जानवर, या खनिज) मौजूद हों तो वहाँ समुदायों को शिकारियों, अतिक्रमियों, लकड़ी के अवैध व्यापार करनेवालों से और भी अधिक सजग रहना पड़ता है।

विभाग ४ : CCA क्षेत्रों को किस प्रकार की सहायता की आवश्यक होती है?

अनेक समुदायों ने CCA क्षेत्रों के संरक्षण और व्यवस्थापन में सरकारी अधिकारियों या अन्य प्रभावी संस्थाओं से सहभाग की अपेक्षा व्यक्त की है और समय समय पर ऐसी माँग भी की है। नैसर्गिक संसाधनों का संरक्षण करने की पूरी ज़िम्मेदारी निभाना कितना मुश्किल है, यह बात समुदाय अच्छे से समझते हैं। विशेष कर के ऊपर उल्लेख किये हुए आंतरिक और बाहरी सामाजिक गतिशीलता और राजकीय तथा वाणिज्यिक दबावों के माहौल में मुश्किलें और बढ़ जाती हैं। राष्ट्रीय स्तर पर, राज्य स्तर पर या स्थानीय स्तर पर ऐसी कोई संस्था या व्यवस्था उपलब्ध नहीं है जो नियमित रुप से या आवश्यकता पड़ने पर समुदायों की सहायता कर सके।

४.१ समुदायों को जिस तरह की सहायता की आवश्यकता होती है उनमें से कुछ निम्लिखित है :

४.१.१ अधिक मान्यता और जानकारी उपलब्ध कराने में सहायता, समुदाय द्वारा किये जानेवाले निसर्ग संरक्षण के उदाहरणों का प्रलेखन, GIS के ज़रिये विस्तृत नक्शे बनाना, राष्ट्रीय स्तर पर CCA के डेटाबेस को बनाए रखना और 'अपडेट' करना, कानूनी तौर पर मान्यता हासिल करना, प्रभावी प्रशासनिक और राजनीतिक समर्थन पाना, मार्गदर्शन और निगरानी के लिये राष्ट्रीय, राज्य और स्थानीय स्तर पर व्यवस्था और संस्थाएँ निर्माण करना।

४.१.२ स्थानीय ज़रुरतों के अनुसार सहायता, जैसे कि, आर्थिक सहायता, एक या अनेक समुदायों के आपसी विवादों का निबटारा, निर्णय प्रक्रिया में अधिक पारदर्शिता और समता लाना, संरक्षित संसाधनों और प्रजातियों के लिये व्यवस्थापन योजनाएँ

बनाना, आजीविकाओं को बेहतर बनाने के लिये उपाय सुझाना, शक्तिशाली व्यक्तियों और लकड़ी तस्करों, अवैध शिकारियों और खनिज उद्योगों, आदि, से होनेवाले गंभीर ख़तरों से निबटाना, वगैरह।

४.१.३ पर्यावरण से संबंधित, सामाजिक और आर्थिक मुद्दों को ले कर तकनीकी सहायता करना।

४.१.४ कानूनी और धोरणात्मक योजनाओं को सहायता देना, जैसे कि –

a. CCAs को संरक्षण और सहायता के लिये कानूनी विकल्प की तलाश करना (समुदाय की इच्छा हो तभी और उन की पूर्ण सहमति के साथ ही)। उदाहरण के तौर पर

   i. वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, १९७२, (समुदाय और संरक्षित क्षेत्र),

   ii. वन अधिकार अधिनियम, २००६ (समुदायों के वन),

   iii. पर्यावरण संरक्षण अधिनियम (संवेदनशील पर्यावरणवाले क्षेत्र),

   iv. वन अधिनियम (गाँव के वन),

   v. राज्य स्तरीय कानून–जैसे कि नागालँड का ग्राम परिषद अधिनियम।

b. मौजूदा नीतियों और कानूनों में समुदाय पर आधारित दृष्टीकोण को बढ़ावा देनेवाले बदलाव लाने का प्रयत्न करना और साथ ही स्पष्ट मार्गदर्शक तत्वों को जुटा कर नीतियों और कानूनों में समुदायों द्वारा संरक्षित क्षेत्रों के लिये उपलब्ध अवसरों को बढ़ाने की कोशिश करना। स्थानीय समुदायों के नैसर्गिक संसाधनों पर इस्तेमाल के अधिकरों के मामले में भी महत्वपूर्ण बदलाव लाने की और उन्हें मज़बूत बनाने की आवश्यकता है। कानूनी मान्यता देते समय यह ध्यान में रखना आवश्यक है कि ये कानून CCA क्षेत्रों मे बाधा न खड़ी करें या उन्हे प्रभावहीन न करे।

c. संबधित सरकरी योजनाओं और कार्यक्रमों में समुदाय की भागीदारी का समावेश करना।

d. विचार विमर्श की प्रक्रिया को जारी रखते हुए मौजूदा CCA क्षेत्रों को कानूनी और अन्य तरह के आधार दिलाने के लिये और अन्य स्थानों पर इस प्रकार के क्षेत्र बनाने में सहाय्यता

करने के लिये मार्गदर्शक तत्वों की सूचि विकसित करना।

४.२ CCA क्षेत्र एक अनौपचारिक विकेंद्रित निर्णय व्यवस्था का भाग है; इस बात का महत्व ध्यान में लेना अति आवश्यक है। यही कारण है कि उन्हें सहायता देने वाली प्रक्रियों का विकेंद्रित होना भी उतना ही आवश्यक है। उन्हें नियमित रुप से इन समुदायों को सहायता देने के लिये अगर किसी फ़ोरम की व्यवस्था की जाती है तो ये आवश्यक है कि उसके सदस्य संबधित समुदायों के सदस्य, सरकरी एजेन्सियों के कर्मचारी, NGO और उपक्रम से जुड़े अन्य व्यक्ति हों। CCA क्षेत्रों को सहायता और मान्यता देनेवाले फ़ोरम या अन्य प्रक्रियाएँ निम्नलिखित मुद्दों पर आधारित होनी चाहिये–

a. समुदाय द्वारा संरक्षण में कार्यान्वित स्थानीय व्यवस्था, उसकी अच्छाइयाँ व कमज़ोरियों का स्वतंत्र मूल्यांकन।

b. नियमित आपसी संपर्क और अनुभवों के आदान प्रदान की व्यवस्था, और साथ ही इस से मिले हुए ज्ञान के आधार पर भविष्य की नीति बनाने में सहायता।

c. ऐसी व्यवस्थाएँ जिन के आधार पर स्थानीय संवेदनशीलताओं को ध्यान में रखते हुए समुदाय कमज़ोरियों से उभर पाएँ।

d. आवश्यकता के अनुसार क्षमता बढ़ाने के लिये कार्यक्रमों का आयोजन।

विभाग ५ : CCA क्षेत्रों को किस प्रकार के हस्तक्षेप की ज़रुरत नहीं होती है?

हाल में कुछ राज्य सरकारों ने संरक्षण करने वाले समुदायों की सहायता करने के उद्देश्य से उन के साथ संयुक्त वन व्यवस्थापन जैसी योजनाओं की कार्यवाही की है, या फिर वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, १९७२, के तहत 'कम्युनिटी रिज़र्व' जैसे मौजूदा कानून को इस्तेमाल किया है। कुछ क्षेत्रों में समुदायों के लिये ये फ़ायदेमंद साबित हुआ है परन्तु अधिकतर क्षेत्रों में ज़्यादातर इस के विपरित परिणाम दिखाई दिये हैं, विशेष कर के उन क्षेत्रों में, जहाँ ऐसी व्यवस्थाएँ उन समुदायों पर लागू की जाती हैं जो पहले से ही संरक्षण कर रहे हों। देश में समुदायों द्वारा वन व्यवस्थापन के ऐसे उदाहरण भी उपलब्ध हैं जहाँ JFM प्रक्रिया ऐसे क्षेत्रों में चलायी गयी जहाँ समुदाय पहले से संसाधनों का व्यवस्थापन किया करते

थे। ऐसे क्षेत्रों में जहाँ कार्यवाही करनेवाले अधिकारी की दिलचस्पी और सामाजिक संवेदनशीलता थी और मौजूदा स्थानीय समुदाय सबल था, वहाँ JFM सहायक हो पाया, परन्तु, जहाँ उपरोक्त स्थिति नहीं थी वहाँ JFM के कारण मौजूदा व्यवस्थाएँ टूट गई। CCA की विविधता और जटिलता को ध्यान में ले कर हम यह समझ पाये हैं कि हर स्थिति में सिर्फ़ कठोरता से सरकारी नियमों व नीतियों को लागू कर देने पर संरक्षण नहीं हो पाएगा।

विभाग ६ : CCA क्षेत्रों की सहायता करने में कौन सी बातें ध्यान में रखनी चाहिये ?

६.१ प्रमुख विवाद विषय का मर्म ध्यान में रखना चाहिये –

अनेक बार यह अनुभव हुआ है कि स्थानीय शासन नीति व्यवस्था की ताकत ही किसी यशस्वी CCA का और कार्यक्षम सहायक मध्यस्तता का मर्म है। मान्यता और आधार देनेवाली किसी प्रक्रिया को यह सुनिश्चित करना चाहिये कि शासन नीति के अंतरराष्ट्रीय सिध्दांतों का पालन किया जा रहा है या नहीं। इन सिध्दांतों में विविध ज्ञान व्यवस्थाओं के लिये मान्यता, स्पष्टता, निर्णय प्रक्रिया की पारदर्शिता और जबाबदेही, और नेतृत्व में समावेशिता शामिल हैं।

६.२. CCAs को मान्यता या सहायता देने से पहले जो सावधानियाँ बरतनी होंगी वे इस प्रकार की हैं –

समुदाय की इच्छा के विरुध्द और समुदाय की व्यवस्था के ऊपर पड़नेवाले प्रभावों को समझे बिना CCA की कानूनी स्थिति में कोई बदलाव नहीं लया जाना चाहिये मौजूदा व्यवस्था को (संस्थाओं, नियमों और विनियमों के साथ) मान्यता देनी चाहिये हालाँकि उन स्थितियों में (समुदाय को विश्वास में लेते हुए) हस्तक्षेप की आवश्यकता पड़ सकती है जहाँ समुदाय में मौज़ूद कुछ भ्रान्तियाँ (जैसे कि महिलाओं या समाज के कुछ तबकों का निर्णय प्रक्रिया में भागीदार न होना या समाज में अन्य प्रकार की असमानताएँ होना), समुदाय की ताकत को कमजोर कर सकते हैं। समुदाय के साथ चर्चा कर के, उनकी अनुमति पा कर ही यह तय करना चाहिये कि किस प्रकार की सहायता देनी है। समुदायों के साथ जबाबदेही और सहाय्य/आर्थिक मदद के परिणामों की निगरानी की व्यवस्थाएँ क्या होंगी, यह भी समुदाय के साथ तय करना होगा।

६.३ संसाधनों के उपयोग या स्वामित्व का अधिकार

संरक्षण के प्रयास शुरु करने के पीछे एक महत्वपूर्ण कारण है समुदाय की संरक्षित क्षेत्र या संसाधन या प्रजातियों के प्रति अपनेपन की भावना। इसी लिये संरक्षित क्षेत्रों पर और संसाधनों पर समुदाय के स्वामित्व या उपयोग के अधिकारों को सुरक्षित रखे बगैर संरक्षण उपक्रम यशस्वी नहीं हो सकता है।

६.४ स्थान के अनुकूल और विकेंद्रीकृत व्यवस्थापन

समुदायों द्वारा संरक्षण के प्रयास विकेंद्रीकृत, स्थलविशिष्ट और विभिन्न उद्देश्य और दृष्टीकोणों से किये जाते हैं। इस बात से अनेक सरकारी और गैर सरकारी संस्थाएँ यह समझ सकती हैं कि इन उपक्रमों को सहयोग देने के लिए एसे ही स्थलविशिष्ट व विकेंद्रित तरीके अपनाने होंगे। तथापि कानून और नीतियों को लचीला बनाने के साथ साथ उन्हें अनुचित उपयोग के विरूध्द दृढ़ और प्रबल बनाना आसान बात नहीं। ऐसी व्यवस्था के लिये गंभीर चर्चा और अन्वेषण की ज़रूरत होगी।

६.५ सरकारी और गैर सरकारी संस्थाओं का आपसी तालमेल

संरक्षण के लिये भारी मात्रा में बाहर से धनराशि उपलब्ध कराने के बजाय विभिन्न सरकारी विभागों से मौजूदा संसाधनों को जुटाना अधिक उपयुक्त होता है। उदाहरणार्थ महाराष्ट्र के अमरावती ज़िले में मेलघाट व्याघ्र प्रकल्प के पास बसे गाँवों में पर्यावरण संवेदनशील विकास कार्य शुरू कराने के लिए किसी उद्यमशील अधिकारी ने सारी 'लाइन अजेन्सियों' के बजटों को मिलाकर पर्याप्त निधि उपलब्ध करवायी थी। राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार योजना और ग्रामीण और जनजाति विकास योजनाएँ भी अब बहुत सहायक हो सकती हैं।

६.६ 'लॅण्डस्केप' दृष्टिकोण

समुदायों द्वारा संरक्षण अपने क्षेत्र के पर्यावरण और उससे जुड़ी संस्कृति के अनुसार किया जाता है। परन्तु समुदाय जहाँ संरक्षण कर रहे हैं उस क्षेत्र का संबंध आसपास के पर्यावरण व संस्कृतियों सें भी जुड़ा होता है। अगर आसपास के क्षेत्र में संसाधनों का भारी इस्तेमाल करनेवाले या भारी प्रदूषण करनेवाली औद्योगिक गतिविधियाँ हों तो उसका सीधा प्रभाव संरक्षित क्षेत्र पर पड़ता है यह बात समझना आवश्यक है।

६.७ स्थानीय संस्थाओं की क्षमता या प्रकार को समझना

संसाधनों के व्यवस्थापन और संरक्षण की ज़िम्मेदारी ग्रामीण समुदाय को सौंपने के साथ साथ ऐसी ज़िम्मेदारियाँ निभाने के लिये आवश्यक क्षमताएँ बढ़ाने के लिये व सक्षम स्थानीय संस्थाओं के निर्माण के लिये समय और प्रयास लगाना अत्यधिक आवश्यक हैं।

६.८ निर्पक्ष व निस्वार्थ नेतृत्व

स्थानीय समुदाय का ज़्यादातर समय रोज़ीरोटी कमाने में व्यतीत होता है, यह ध्यान में रखते हुए संरक्षण कार्य में उत्साह को जारी रखना कभी कभी मुश्किल हो सकता है, विशेष करके वहाँ जहाँ क्षेत्र को कोई प्रत्यक्ष ख़तरा न दिख रहा हो। ऐसी परिस्थिति में समुदाय के उत्साह को जारी रखने या, भविष्य के लिये मार्गदर्शन देने में किसी एक व्यक्ति या व्यक्तियों के समूह का बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान रहता है। अपनी निर्पक्षता व निस्वार्थता के कारण एसे नेता समाज में सम्मानित माने जाते हैं तथा इनके अथक प्रयासों का समुदाय द्वारा किए जा रहे उपक्रम की सफ़लता में एक महत्वपूर्ण स्थान होता है। सामाजिक कार्य करनेवाले ऐसे नेताओं की भूमिका को आर्थिक, राजनैतिक, या अन्य स्वार्थी प्रयोजन के कारण उभर कर आए कोई भी नेता नहीं निभा सकते हैं।

६.९ निधि की उपलब्धता

कई बार देखा गया है कि वे संरक्षण योजनाएँ जो निधि उपलब्ध किए जाने के कारण शुरु की गई हों, वे निधि के समाप्त हो जाने पर वहीं रुक जाती हैं (अगर पहले ही आर्थिक तौर पर उन्हें आत्मनिर्भर न बनाया गया होतो)। कभी कभी बाहर से निधि उपलब्ध हो जाने के तुरंत बाद समुदाय के उपक्रम आंतरिक संघर्षों में फँस जाते हैं। किसी योजना से मिलनेवाली निधि के कारण प्रारम्भ किया गया संरक्षण प्रयास एक कमज़ोर प्रयास होता है।

विभाग ७ : इस केन्द्रीय योजना के अंर्तगत सहायता देने के लिये CCA क्षेत्रों का चयन कैसे करें?

केंद्रीय वन और पर्यावरण मंत्रालय या कोई भी अन्य विभाग पर्यावरणीय, और सांस्कृतिक विशेषताओं के साथ साथ, एसे क्षेत्र जो किन्हीं ख़तरों का सामना कर रहे हों या जिन्हें विशेष रुप से किसी सहायता की आवश्यकता हो, ऐसे क्षेत्रों का चयन कर सकता हैं।

a. पर्यावरणीय मूल्य

i क्या CCA महत्वपूर्ण पक्षी स्थल (IBA) है?

ii क्या CCA किसी संकटग्रस्त प्रजाति का आधिवास है?

iii क्या CCA प्रजातियों की भारी विविधता या संकेन्द्रण वाला क्षेत्र है? क्या यहाँ ऐसी कोई प्रजातियाँ पायी जाती हैं जो अन्य स्थलों में नहीं पायी जाती?

iv क्या CCA को वन्य जीव गलियारे के रूप में इस्तेमाल करते हैं?

v क्या CCA में ऐसी कोई परिसंस्था है जो ख़तरे में है?

vi क्या CCA पानी के स्रोतों की रक्षा करने, ज़मीन स्खलन रोकने, बाढ़ रोकने आदि की दृष्टि से अत्याधिक महत्वपूर्ण है?

b. सामाजिक मूल्य

i क्या लोगों के प्राकृतिक संसाधनों से जुड़े रोज़गार क़े लिये CCA महत्वपूर्ण है?

ii क्या स्थानीय संस्कृति को बनाए रखने के लिये CCA महत्वपूर्ण है?

iii क्या CCA ने ऐसी आदर्श शासन नीति व्यवस्था की स्थापना की है, जिसे आधार और प्रोत्साहन की आवश्यकता है?

iv क्या CCA संस्था में बाहर से मिलनेवाली आर्थिक या अन्य तरह की सहायता लेकर ज़िम्मेदारी से उद्देश्यों को पूरा करने की क्षमता है?

c. पर्यावरणीय मूल्य

i क्या CCA पर बाहरी विकास कार्यों का दबाव पड़ रहा है?

ii क्या CCA लकड़ी के अवैध व्यापार से, अवैध शिकार से, पड़ोसी समुदायों से, या ऐसी किसी समस्या से जूझ रहा है, पीड़ित है?

iii क्या इस उपक्रम के कारण समुदाय को भारी क़ीमत देनी पड़ रही है (जिस के कारण उन्हे CCA उपक्रम को बनाए रखना मुश्किल हो रहा जैसे कि मनुष्य–वन्यजीव संघर्ष, या फिर आर्थिक बोझ उठाना पड़ रहा है?

iv क्या उपजीविका न जुटा पाने के कारण समुदाय को CCA के संरक्षण के उपक्रम को छोड़ना पड़ रहा है?

v क्या समुदाय ने उसे आवश्यक सहायताओं की (जैसे कि पानी

उपलब्ध कराने की, या व्यापार में सहायता करने की) स्पष्टता के साथ पहचान की है और उस की माँग भी की है?

विभाग ८: केन्द्रीय वन और पर्यावरण मंत्रालय द्वारा या अन्य विभागों द्वारा चलाई जा रही योजनाओं द्वारा CCA को सहायता देने की प्रक्रिया क्या हो?

CCA को मान्यता और आधार देनेवाली योजनाओं की कार्यवाही करते हुए उपर दिये हुए सारे मुद्दों को ध्यान में रखना चाहिये। अंत में नियोजन आयोग की निगरानी में और संबद्ध समुदायों के (शायद बारी बारी) मुख्य सहभाग पर आधारित व्यापक योजना बनाने के बारे में सोचा जा सकता है।

जानकारी के लिये टिप्पणी

समुदाय द्वारा संरक्षित क्षेत्रों के लिये केंद्रीय वन एवं पर्यावरण मंत्रालय द्वारा जारी किये हुए मार्गदर्शक तत्व

प्रकाशक : कल्पवृक्ष, अपार्टमेंट ५ श्री दत्त कृपा, ९०८ डेक्कन जिमखाना, पुणे 411 004
फोन : 91-20-25675450, टेल/ फॅक्स : 91-20-25654239
ईमेल : kvoutreach@gmail.com
वेबसाइट : www.kalpavriksh.org
सलाहकार : नीमा पाठक-ब्रूम
संपादन : मिलिंद वाणी
भावानुवाद : अनुराधा अर्जुनवाडकर, नीमा पाठक-ब्रूम

चित्र : मधुवंती अनंतराजन
आर्थिक सहयोग : मिज़ेरिओर, आखेन, जर्मनी